**पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में**
**2014 की विविध अपील No.364**

==========

राम- सखी देवी, पति- स्वर्गीय तोता सिंह, निवासी ग्राम- रसूलपुर सोहवन, थाना- भगवानपुर, जिला-वैशाली।

..... ..... अपीलार्थी/गण

बनाम

1. अमर किशोर सिंह, पुत्र-रामाशीष सिंह, ग्राम-चिंतामनपुर, थाना-पिपरा, जिला-पूर्व चम्पारण।
2. राम बालक दास, पुत्र-जामुन दास, निवास ग्राम-चिंतामनपुर, थाना-पिपरा, जिला-पूर्व चम्पारण।
3. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा प्रबंधक रामाशीष द्वारा, चौक, हाजीपुर, थाना- सदर हाजीपुर, जिला-वैशाली।

..... ..... उत्तरदाता/प्रतिवादी/गण

==========

**उपस्थिति:**

| | | |
|---|---|---|
| अपीलार्थी की ओर से | : | श्री आलोक कुमार @ आलोक के. आर. शाही, अधिवक्ता |
| उत्तरदाता 1 और 2 के लिए | : | श्री शारदा नंद मिश्रा, अधिवक्ता |
| | : | श्री डी. के. गुप्ता, अधिवक्ता |
| | : | श्री दीपक कुमार अधिवक्ता |
| प्रतिवादी नंबर 3 के लिए | : | श्री ए. प्रियदर्शी, अधिवक्ता |

==========

*अपीलकर्ता मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत क्लेम के मामले में न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुसार दी गई मुआवजा राशि की मात्रा से संतुष्ट नहीं है ।*

*निर्णय - सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, दावा करने वाले को देय कुल मआवजा निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना चाहिएः*

*1. आय,*

*2. भविष्य की संभावनओं की दिशा में वृद्धि का प्रतिशत्*

*3. कटौती (व्यक्तिगत व्यय)*

*4. गुणक (मृतक की आयु के आधार पर),*

*5. संगति की हानि,*

*6. संपत्ति की हानि,*

*7. अंतिम संस्कार के खर्चे, और*

*8. दावे की राशि पर ब्याज । (पैराग्राफ 7)*

*न्यायाधिकरण ने दावे की राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज प्रदान नहीं किया है । इसलिए, यह आदेश दिया गया है कि आवेदन की तारीख से लेकर राशि की वसूली तक 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा । (पैराग्राफ 8)*

# पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

**कोरम (समक्ष): माननीय न्यायमूर्ति श्री बीरेंद्र कुमार**

**मौखिक निर्णय**

**दिनांक 19-02-2019**

अपील चार महीने और बीस दिनों की सीमा से वर्जित है। 2015 के आई. ए. सं. 6681 के माध्यम से सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर एक याचिका में देरी की व्याख्या की गई है। इसलिए देरी को माफ कर दिया जाता है।

2. पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना।

अपीलार्थी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत 2001 के दावा मामले सं.45 में पारित दिनांक 12.09.2013 के विवादित आदेश के माध्यम से न्यायाधिकरण द्वारा अनुमत पुरस्कार राशि की मात्रा से संतुष्ट नहीं है। विवादित आदेश द्वारा न्यायाधिकरण ने रु. 2,79,320/- का आदेश दिया है।

3. दावेदार स्वर्गीय पप्पु कुमार सिंह जो मोटर दुर्घटना का शिकार हुए थे। संदर्भित ट्रक ने पप्पु कुमार सिंह के स्कूटर को पीछे से सड़क पर टक्कर मार दी। दावेदार ने न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया था कि मृतक स्टेशनरी का दुकान चला रहा था और उसकी आय 3,000/- रुपये प्रति माह थी। उपरोक्त आय की पुष्टि करने के लिए सामग्री के अभाव में निचली न्यायालय एक अकुशल दैनिक मजदूरी के दैनिक वेतन के अनुसार रु. 89 लिया।

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी के उपरोक्त कथन का कोई खंडन नहीं था। इसके अलावा, भले ही मृतक कुछ भी नहीं कमा रहा था, न्यायिक घोषणाओं द्वारा मुआवजे की गणना के लिए प्रति दिन रु.100 लिया गया है।

5. इस प्रकार, मृतक की मासिक आय 3,000 रुपये होगी और यदि

उपरोक्त राशि को 12 महीने से गुणा किया जाता है, तो वार्षिक आय रु.36,000/- हो जाती है। मृत्यु के समय मृतक की आयु लगभग 30 वर्ष थी और वह एक स्व-नियोजित व्यक्ति था। अतः, स्थापित आय का 40 प्रतिशत वृद्धि को प्राधिकृत करना है, **राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी ने 2017 (4) पी. एल. जे. आर. 261** में प्रतिवेदित किया। उचित गुणक 17 का होगा न कि 16 का जैसा कि न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया है। यदि राशि को 17 से गुणा किया जाता है तो कुल रु. 8,56,800/- आता है। उपरोक्त में से 50 प्रतिशत मृतक के व्यक्तिगत खर्च के लिए कटौती योग्य है, क्योंकि वह कुंवारा था जैसा कि **सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और एक अन्य (2009) 6 में एस सी सी 121** में दिए गए मार्गदर्शन द्वारा प्रतिवेदित है। उपरोक्त के अलावा दावेदार अंत्येष्टि व्यय शीर्ष में रु.15,000/-, संपत्ति के नुकसान के लिए के साथ-साथ संघ के नुकसान के लिए Rs. 40,000/- का हकदार होगा। संघ की हानि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के दृष्टिकोण में अधिनिर्णय योग्य है जैसा कि **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम @चुहरू राम और अन्य ने 2018 पी. एल जे आर** में प्रतिवेदित किया है। मेग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पैरा-8.7 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> *"8.7 **प्रणय सेठी** (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने उन विभिन्न शीर्षों पर विचार किया जिनके तहत मृत्यु के मामले में मुआवजा दिया जाना है। इन शीर्षों में से एक संघ का धारा है।*
>
> *कानूनी भाषा में, "संघ" एक सारगर्मित शब्द है। जिसमें पति-पत्नी संघ, 'माता-पिता संघ' और 'संतान संघ' शामिल हैं।*
>
> *संघ के अधिकार में मृतक की कंपनी, देखभाल, सहायता, आराम, मार्गदर्शन, सांत्वना और स्नेह शामिल होगा, जो उसके परिवार के*

*लिए एक नुकसान है। जीवनसाथी के संबंध में, इसमें मृत जीवनसाथी के साथ यौन संबंध शामिल होंगे।*

*पति-पत्नी संघ को आम तौर पर एक पति-पत्नी के रिश्ते से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जीवित पति या पत्नी को हर वैवाहिक संबंध में "कंपनी, समाज, सहयोग, स्नेह और दूसरे की सहायता" के नुकसान के लिए मुआवजे की अनुमति देता है।*

*माता-पिता की समय से पहले मृत्यु होने पर बच्चे को माता-पिता की सहायता, सुरक्षा, स्नेह, समाज, अनुशासन, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के नुकसान के लिए माता-पिता संघ प्रदान किया जाता है।*

*संतान संघ बच्चे की आकस्मिक मृत्यु के मामले में मुआवजे के लिए माता-पिता का अधिकार है। एक दुर्घटना में एक बच्चे की मौत हो जाने से मृतक के माता-पिता के परिवार को बहुत सदमा और पीड़ा होती है। माता-पिता के लिए सबसे बड़ी पीड़ा अपने जीवनकाल में अपने बच्चे को खोना है। बच्चों को उनके प्यार, स्नेह, साहचर्य और परिवार इकाई में उनकी भूमिका के लिए महत्व दिया जाता है।*

*कंसोर्टियम एक विशेष प्रिज्म है जो वास्तविक संबंधों की स्थिति और मूल्य के बारे में बदलते मानदंडों को दर्शाता है। दुनिया भर के आधुनिक न्यायालयों ने माना है कि बच्चे के संघ का मूल्य बच्चे की मृत्यु के मामले में दिए गए मुआवजे के आर्थिक मूल्य से कहीं अधिक है। इसलिए अधिकांश क्षेत्राधिकार एक बच्चे की मृत्यु पर संघ के तहत माता-पिता को मुआवजा देने की अनुमति देते हैं। माता-पिता को दी जाने वाली राशि मृतक बच्चे के प्यार, स्नेह, देखभाल और साहचर्य के नुकसान के लिए एक मुआवजा है।*

*मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी कानून है जिसका*

*उद्देश्य पीड़ितों या उनके परिवारों को वास्तविक दावों के मामलों में राहत प्रदान करना है। यदि माता-पिता ने अपने नाबालिग बच्चे, या अविवाहित पुत्र या बेटी को खो दिया है, तो माता-पिता फिलियल कंसोर्टियम के प्रमुख के तहत संघ के नुकसान से सम्मानित होने के हकदार हैं।*

*पेरेंटल कंसोर्टियम उन बच्चों को दिया जाता है जो अधिनियम के तहत मोटर वाहन दुर्घटनाओं में अपने माता-पिता को खो देते हैं।*

*कुछ उच्च न्यायालयों ने इस मामले में मुआवजे का आदेश दिया है। हालांकि, फिलियल कंसोर्टियम के नुकसान पर किस सिद्धांत पर मुआवजा दिया जा सकता है, इसके संबंध में कोई स्पष्टता नहीं थी। संघ के रूप में दिए जाने वाले मुआवजे की राशि* ***प्रणय सेठी*** *(ऊपर) में निर्धारित 'संघ के नुकसान' के तहत मुआवजा देने के सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होगी। वर्तमान मामले में, हम मृतक के पिता और बहन को रुपये की राशि प्रदान करना उचित समझते हैं, फिलियल कंसोर्टियम के नुकसान के लिए प्रत्येक को रु. 40,000 की राशि।*

6. मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामले में मृतक के पिता, भाई और बहन ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत दावा याचिका दायर की थी। वर्तमान मामले में मृतक की मां दावेदार है।

7. **प्रणय सेठी** (ऊपर) के निर्णय के संदर्भ में दावेदार को देय कुल मुआवजे की गणना नीचे की गई हैः

- आमदनीः 3,000/- प्रति माह
- भविष्य की संभावनाओं की दिशा में प्रतिशत वृद्धिः 40%
- Rs. 3000-x 40% = 1,200/-

- कुल आयः 4, 200/- रु.
- 50% कटौतीः 2,100/-
- कटौती के बाद आयः 2, 100/- रु.
- वार्षिक आय = 2100/- X 12 = Rs. 25,200/-
- गुणक प्रयुक्तः 17 (चूंकि मृतक की आयु 30 वर्ष थी)
- निर्भरता का नुकसानः Rs. 25,200/- x 17 = रु. 4,28,400
- संघ का नुकसानः Rs.40,000/-
- संपत्ति का नुकसानः Rs.15,000/-
- अंतिम संस्कार का खर्चः Rs.15,000/-
- कुल क्षतिपूर्तिः 4,98,400/-

8. न्यायाधिकरण ने दावे की राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया है। इसलिए, यह आदेश दिया जाता है कि आवेदन की तारीख से 8 प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज राशि की प्राप्ति तक देय होगा। पहले से भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, अंतिम भुगतान से काट ली जाएगी।

9. आक्षेपित आदेश में उपरोक्त संशोधन के साथ, इस अपील का निष्पादन कर दिया जाता है।

**(बीरेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)**

एमकेआर./-

**खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**